राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.27(7)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 8-1-19

:: परिपत्र ::

विषयः–राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वंय द्वारा भरने के संबंध में।

राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01, जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने के लिए परिपत्र जारी किये जाते रहे है। वर्तमान में भी कार्मिक (क–1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 से अचल सम्पति विवरण का वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए है। अतः सभी अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं की पालना कर अचल सम्पति विवरण वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाता हैः–

1. राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वंय अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में अपना अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करें। वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल सम्पति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।
3. जो अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत विजिलेन्स क्लीयरेन्स नहीं दी जाएगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 जनवरी, 2019 की स्थिति में) अपना अचल सम्पति विवरण व उसके पश्चात्‌वर्ती वर्षों का अचल सम्पति विवरण SSO-ID से लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
5. अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE में भरने की समय सीमा 31 जनवरी है, 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE पर अचल सम्पति विवरण नहीं भरे जावेंगे।
6. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राजस्थान विधि सेवा संवर्ग/राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx